



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर  
पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराण धोजक, RAS

अपील संख्या 70/2013

- 1 नत्थुराम उर्फ पालसिंह उम्र 62 साल पुत्र स्व. लालचन्द
- 2 बजरंग लाल आयु 54 साल पुत्र स्व. लालचन्द जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 4 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

- 1 समद आयु 51 साल पुत्र कमरुद्दीन जाति कसाई मुसलमान निवास वार्ड नम्बर 4 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
- 2 शौकत आयु 58 साल
- 3 निसार आयु 48 साल पुत्रगण गन्नी खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 8 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
- 4 मु. राबिया उर्फ मु. साबिया पत्नी स्व. दीना
- 5/1 मु. मुन्नी पत्नी स्व. याकुब जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 5/2 इमरान पुत्र स्व. याकुब
- 5/3 गुडडी पुत्री स्व. याकुब जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खौरा झुन्झुनू नाबालिगान जरिये मु मुन्नी पत्नी स्व. याकुब जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 5/4 आमीर पुत्र स्व. याकुब जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खौरा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 6 महमूद
- 7 अयुब
- 8 फारुक
- 9 आबीद उर्फ आरीफ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



- 10 इस्लाम पुत्रगण स्व. दीना जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खौरा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 11 मृतका मु. संगीरी पुत्री स्व. दीना जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खौरा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 11/1 गुलाब नबी उर्फ भवरू खां पुत्र स्व. गन्नीखां
- 11/2 शब्बीर पुत्र गुलाब नबी उर्फ भवरूखां
- 11/3 मु. नजमा पुत्री गुलाबनबी पत्नी सलीम समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासी गोरमदारा का मोहल्ला सीकर हाल 1017 सीकर हाउस कल्याण रोड शास्त्री नगर पावर हाउस के सामने भिवण्डी पोस्ट भिवण्डी जिला थाना महाराष्ट्र।
- 12 मु. जरीना
- 13 मु. रूकसाना
- 14 मु. महमुदा पुत्रीगण स्व. दीना जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खौरा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 15 मु. अलहमदो पत्नी स्व. अल्लारखां
- 16 महमुद उर्फ महबुब पुत्र
- 17 क्युम पुत्र
- 18 खादीम पुत्र
- 19 म. जुबैदा पुत्री
- 20 मु. सुबेदौलत पुत्री
- 21 मु. कलसुम पुत्री स्व. अल्लारखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खौरा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 22 भोलाराम पुत्र स्व. श्योनारायण
- 23 अमर सिंह पुत्र स्व. श्योनारायण
- 24 जयदयाल पुत्र स्व. श्योनारायण जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
- 25 भंवरअली पुत्र मुनीर खां जाति चोपदार मुसलमान निवासी मुरलीपुरा जयपुर राज.।

मुख्य अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



- 26 मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद सदीक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 4 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
- 27 राज. सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 28 नगरपालिका चिड़ावा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
- 29 इदरीश अली पुत्र युनुसअली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 35 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम  
1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2012  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा उनवानी समद बनाम  
शौकत आदि दावा घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा  
दावा संख्या 103/2009

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहम्मद खादिम, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:- 24.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



4

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 103/2009 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2012के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोजेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1061, 1066, 1067, 1069, 1064, 1055, 1056, 1065, 1068, 1052, 1063, 1084, 1085 वाके ग्राम चिड़ावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से राजीनामों के आधार पर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.09.2021 के अनुसार अपील निस्तारित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील न्यायालय में अपीलांट व रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। राजीनामों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि राजीनामों के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामों की प्रति इस निर्णय का भाग रहेगी। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 24.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेव राम धोत्रक)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजीस्व (अपील) प्राधिकारी,  
सीकर